अनुदान संख्या 50 – गृह मंत्रालय
GRANT No. 50–MINISTRY OF HOME AFFAIRS

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged–*				
मूल	*Original*	*5,00*	*1,09,00*	*1,08,98*	*–2*
पूरक	*Supplementary*	*1,04,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	765,77,00	794,04,00	763,42,43	–30,61,57
पूरक	Supplementary	28,27,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				42,15,93
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	70,68,00	70,69,00	56,61,25	–14,07,75
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				4,63,54

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (3061.57 लाख रु.) अगस्त, 2007, नवम्बर, 2007 और मार्च, 2008 में प्राप्त किए गए 2827.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 4 प्रतिशत थीं। अभ्यर्पित राशि (4215.93 लाख रु.) भी कुल बचतों से अधिक हो गई।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.3061.57 lakhs) exceeded the supplementary grants of Rs.2827.00 lakhs obtained in August, 2007, November, 2007 and March, 2008 and constituted 4 percent of the total sanctioned provision. The amount surrendered (Rs.4215.93 lakhs) also exceeded the overall savings .

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2052" सचिवालय - सामान्य सेवाएं	Major Head "2052" Secretariat - General Services					
मू.	O.	8804.00				
पू.	S.	365.00		9346.31	9037.67	–308.64
पु.	R.	177.31				
मुख्य शीर्ष "2070" अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Major Head "2070" Other Administrative Services					
मू.	O.	46898.00				
पू.	S.	2001.00		47046.43	48988.63	+1942.20
पु.	R.	–1852.57				
मुख्य शीर्ष "2250" अन्य सामाजिक सेवाएं	Major Head "2250" Other Social Services					
मू.	O.	355.00		35.00	8.24	–26.76
पु.	R.	–320.00				
मुख्य शीर्ष "3454" जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	Major Head "3454" Census, Surveys and Statistics					
मू.	O.	13615.00		11732.71	11409.86	–322.85
पु.	R.	–1882.29				
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments					
मू.	O.	6805.00				
पू.	S.	461.00		7027.62	6898.03	–129.59
पु.	R.	–238.38				

(I) 313.50 लाख रु. का प्रावधान पांच शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 200.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''योजनेतर अनुदान - निर्वाचन - अन्य अनुदान - संसद और राज्य विधान सभा के चुनावों के दौरान होम गार्डों की तैनाती'' के अंतर्गत राज्य सरकारों से चुनाव ड्यूटी के लिए गार्डों की तैनाती किए जाने संबंधी प्रतिपूर्ति के दावे प्राप्त न होने के कारण थे।

(I) Provision of Rs.313.50 lakhs remained wholly unutilised under five heads; of these Rs.200.00 lakhs alone accounted for under Major Head "3601" - "Non-Plan Grants – Elections – Other Grants – Deployment of Home Guards during the Parliament and State Assembly Elections" – due to non-receipt of reimbursement claims for deployment of Guards for election duty from the State Governments.

(II) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''योजनेतर अनुदान - अन्य प्रशासनिक सेवाएं - केंद्रीय अधिनियमों और विनियमों के प्रशासन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अदायगियां - विदेशियों का पंजीकरण और निगरानी'' के अंतर्गत 100.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 100.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 200.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 100.00 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) राज्य सरकारों से प्राप्त प्रतिपूर्ति के दावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "3601" – "Non-Plan Grants – Other Administrative Services – Payments to States/UTs for Administration of Central Acts and Regulations – Registration and Surveillance of Foreigners" – the original provision of Rs.100.00 lakhs was augmented to Rs.200.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.100.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.100.00 lakhs (including supplementary grant) – due to non-finalisation of re-imbursement claims received from State Governments.

(III) मुख्य शीर्ष ''2070'' के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(III) Supplementary grant obtained under Major Head "2070" remained unutilised under the following heads to the extent as shown against each:-

(का) ''विशेष जांच आयोग - अन्य आयोग'' - 1807.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 190.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1997.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो कुछ संगठनों पर प्रतिबंध लगाए जाने संबंधी निर्णय देने के लिए कम अधिकरणों की स्थापना किए जाने और रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण 103.60 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(A) "Special Commissions of Inquiry – Other Commissions" - the original provision of Rs.1807.00 lakhs was augmented to Rs.1997.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.190.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.103.60 lakhs – due to establishment of less Tribunals to adjudicate the banning of certain organisations and non-filling up of vacant posts.

(खा) ''अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/बैठक - संघवाद संबंधी चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन'' - 50.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 1800.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1850.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो नवम्बर, 2007 में आयोजित किए गए सम्मेलन से संबंधित बिलों का समाधान न किए जाने के कारण 1245.61 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(B) "International Conference/Meeting – Fourth International Conference on Federalism" - the original provision of Rs.50.00 lakhs was augmented to Rs.1850.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.1800.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.1245.61 lakhs – due to non-settlement of bills relating to conference held in November, 2007.

(IV) मुख्य शीर्ष ''2052'' - ''सचिवालय - स्वापक नियंत्रण ब्यूरो'' के अंतर्गत 174.10 लाख रु. की बचत (1312.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न

(IV) Under Major Head "2052" - "Secretariat" -Narcotics control Bureau" - saving of Rs.174.10 lakhs (against the sanctioned provision of

भरे जाने और मुद्रण सामग्री बिलों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष ''2070'' - ''नागरिक सुरक्षा - नागरिक सुरक्षा महानिदेशक'' के अंतर्गत 125.18 लाख रु. की बचत (319.90 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, मोबाइल सिविल इंजीनियर फोर्स, कोलकाता से किराया बिलों और आपूर्तिकर्ता से विज्ञापन बिलों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष ''2250'' - ''धार्मिक स्थलों, मंदिरों आदि का रख-रखाव - अयोध्या में अधिग्रहीत सम्पत्तियों का संरक्षण और रख-रखाव'' के अंतर्गत 345.34 लाख रु. की बचत (350.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उत्तर प्रदेश की सरकार से प्रतिपूर्ति के दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

(VII) मुख्य शीर्ष ''3454'' - ''जनगणना'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :-

(का) ''निदेशन और प्रशासन - अधीक्षण'' - 178.63 लाख रु. की बचत (2582.35 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, राज्य सरकारों से प्रतिपूर्ति के कम दावे प्राप्त होने और इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन व्यवस्था बदल कर लागू किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''जनगणना आंकड़ों का कम्प्यूटरीकरण - जनगणना आंकड़ों के संसाधन के लिए कम्प्यूटर प्रणाली'' - 209.93 लाख रु.की बचत (3241.88 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, अंशदान की अदायगी न किए जाने और परामर्श शुल्क की कम अदायगी किए जाने के कारण हुई।

(गा) ''अन्य व्यय'' -

(क) ''पृथक्करण और संकलन'' - 213.55 लाख रु.की बचत (3065.15 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, प्रतिपूर्ति के कम दावे प्राप्त होने और अधिकारियों द्वारा कम विदेशी दौरे किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''पंजीकरण, संवर्धन पद्धति, अनुसंधान और जनसंख्या अध्ययन'' - 166.81 लाख रु. की बचत (1888.52

Rs.1312.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-receipt of printing material bills.

(V) Under Major Head “2070” - “Civil Defence-Director General of Civil Defence” - saving of Rs.125.18 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.319.90 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-receipt of rental bills from Mobile Civil Engineer Force, Kolkata and advertisement bills from the supplier.

(VI) Under Major Head “2250” - “Upkeep of Shrines, Temples etc. – Protection and Upkeep of acquired properties at Ayodhya” – saving of Rs.345.34 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.350.00 lakhs) was due to non-receipt of claims for re-imbursement from the Government of Uttar Pradesh.

(VII) Under Major Head “3454” - “Census” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Direction and Administration - Superintendence” - saving of Rs.178.63 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2582.35 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less claims for re-imbursement from State Governments and changeover to electronic clearance.

(B) “Computerisation of Census Data-Computer System for Processing Census Data” - saving of Rs.209.93 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3241.88 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-payment of contribution and less payment of consultancy fee.

(C) “Other Expenditure” –

(a) “Abstraction and Compilation” - saving of Rs.213.55 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3065.15 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less claims for re-imbursement and less foreign travels by the officials.

(b) “Registration, Promotion Method, Research and Population Studies” - saving

लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और अंशदान तथा परामर्श शुल्क की अदायगी न किए जाने के कारण हुई।

of Rs.166.81 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1888.52 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-payment of contribution and consultancy fee.

(ग) ''जन्म-मरण आंकड़ा प्रणालियों में सुधार'' - 1205.83 लाख रु. की बचत (2163.84 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विज्ञापन, मुद्रण सामग्री पर कम व्यय होने और व्यवसायियों को कम काम पर लिए जाने के कारण हुई।

(c) "Improvements in Vital Statistics systems" - saving of Rs.1205.83 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2163.84 lakhs) was due to less expenditure on advertisement, printing material and hiring of less professionals.

(VIII) छह शीर्षों के अंतर्गत 380.09 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 21 प्रतिशत से 98 प्रतिशत तक थीं।

(VIII) Under six heads savings of Rs.380.09 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 21 percent to 98 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधानों को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (42.11 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''2070'' - ''अन्य व्यय - आसूचना ब्यूरो'' के अंतर्गत 201.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 2067.12 लाख रु. था।

2.(I) The above savings were partly (Rs.42.11 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of Rs.201.00 lakhs under Major Head "2070" – "Other Expenditure - Intelligence Bureau". Actual excess, however, was Rs.2067.12 lakhs.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

3. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+
मुख्य शीर्ष ''4059'' लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	2906.00			
पू.	S.	1.00	3140.30	3286.06	+145.76
पु.	R.	233.30			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''4070'' अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4070" Capital Outlay on Other Administrative Services				
मू.	O.	3762.00	3065.16	2072.31	–992.85
पु.	R.	–696.84			

(I) 150.00 लाख रु. का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.150.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads.

(II) मुख्य शीर्ष ''4070'' - ''अन्य व्यय'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :-

(II) Under Major Head "4070" – "Other Expenditure" – savings occurred under the following heads:-

(का) ''गृह मंत्रालय'' - 466.41 लाख रु. की बचत (518.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नार्थ ब्लाक में कुछ सुरक्षा उपस्कर लगाए जाने के लिए पूर्ति तथा निपटान महानिदेशक से दर संविदा प्राप्त न होने के कारण हुई।

(A) "Ministry of Home Affairs" - saving of Rs.466.41 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.518.00 lakhs) was due to non-receipt of Director General of Supplies and Disposals rate contract for installation of some security equipment in North Block.

(खा) ''राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कालेज'' - 125.03 लाख रु. की बचत (130.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अग्निशमन के लिए वाहनों और उपस्करों की खरीद को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(B) "National Fire Service College" – saving of Rs.125.03 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.130.00 lakhs) was due to non-finalisation of purchase of vehicles and equipments for fire fighting.

(गा) ''आप्रवास ब्यूरो'' - 110.64 लाख रु. की बचत (503.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कंप्यूटरों और कंप्यूटरीकरण के लिए अन्य मदों की अधिप्राप्ति को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(C) "Bureau of Immigration" - saving of Rs.110.64 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.503.00 lakhs) was due to non-finalisation of procurement of computers and other items for computerisation.

(घा) ''आसूचना ब्यूरो'' - 872.28 लाख रु. की बचत (2329.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्ति तथा निपटान महानिदेशक से दावे प्राप्त न होने और मरम्मत प्रभार प्रावधानों को मशीनरी एवं उपस्कर को अंतरित किए जाने के कारण हुई।

(D) "Intelligence Bureau" - saving of Rs.872.28 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2329.00 lakhs) was due to non-receipt of claims from Director General of Supplies and Disposals and shifting of repair charges provisions to machinery and equipment.

(III) तीन शीर्षों के अंतर्गत 242.54 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 24 प्रतिशत से 56 प्रतिशत तक थीं।

4.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (270.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''4059'' - ''सामान्य - निर्माण - आसूचना ब्यूरो'' के अंतर्गत मार्च, 2008 में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 515.05 लाख रु. था।

(II) बचतें एक शीर्ष के अंतर्गत 94.57 लाख रु. के अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं जो स्वीकृत प्रावधान का 47 प्रतिशत थीं।

(III) Under three heads savings of Rs.242.54 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 24 percent to 56 percent of the sanctioned provision.

4.(I) The above savings were partly (Rs.270.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in March, 2008 under Major Head “4059” – “General - Construction – Intelligence Bureau”. Actual excess, however, was Rs.515.05 lakhs.

(II) Savings were also offset by an excess of Rs.94.57 lakhs under one head constituting 47 percent of the sanctioned provision.